MR. SPEAKER: The matters under Rule 377, listed for the day, are treated as laid on the Table of the House.

12.09 hrs.

Title: Need to declare Buddhist Stupa near Lala Chhapra Chowk on Kesharia-Sahebganj road in Champaran District, Bihar as a national monument-Laid.

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार की राजधानी पटना से लगभग 150 कि0मी0 दूर पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय से 35 कि0मी0 दक्षिण केसरीया साहबगंज मार्ग पर लाला छपराचौक के पास एक वृहत बौध कालीन स्तूप है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना अंचल के नेतृत्व में उक्त खनन के उपरांत जो साक्ष्य सामने आये हैं उससे प्रमाणित हो गया है कि यह वही बुद्ध स्तूप है, जिसके संबंध में चीनी यात्री फाहियान तथा ह्वेन्सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उल्लेख किया था। सर्वप्रथम कर्नल मैकेजी ने 1814 ई. में इस स्तूप का पता लगाया था। उसके बाद होड्सन ने 1835 ई. में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और केसरिया की यात्रा कर रेखा चित्र बनाया था। सन 1861-62 में जनरल कनिंघम ने इस स्तूप को देखा था तो उस समय यह लगभग 62 फुट ऊंचा एवं परिधि लगभग 1400 फुट में फैली थी। जिसका व्यास 68 फुट 5 इंच एवं स्तूप की ऊंचाइ लगभग 51 फुट थी। कनिंघम के अनुसार स्तूप का यह भाग अपने मूल रूप में संभवतः 80 से 96 फुट तक रहा होगा। बंगाल लिस्ट एवं कुरैशी लिस्ट में भी इस स्थान का विस्तृत उल्लेख किया गया है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण स्तूप को राट्रीय स्मारक घोाित करने की कृपा करें।

* Treated as Laid on the Table of the House.